संख्या-04/2026/442 के-2/22-3-2025-17(1391)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2026

विषय:- जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सीमित सजा अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी कृपाशंकर प्रधान पुत्र श्री जगरदेव प्रधान, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सीमित सजा अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी कृपाशंकर प्रधान पुत्र श्री जगरदेव प्रधान, जो मीरानपुर उर्फ मड़ियावडीह, थाना-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 10-11-2006 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा, बन्दूक व कट्टा से मारकर उदयनरायण व घर के अन्य सदस्यों को घायल करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-158/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 323, 504, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, गाजीपुर के दण्डादेश दिनांक 17.11.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, विपक्षियों में आक्रोश तथा भय व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी 10 वर्ष के कारावास की सजा के सापेक्ष दिनांक 01-05-2023 तक अपरिहार 05 माह, 17 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सीमित सजा अवधि से दण्डित सिद्धदोष बन्दी कृपाशंकर प्रधान (बंदी संख्या-190/2022) पुत्र श्री जगरदेव प्रधान, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in